

बिहार सरकार

कृषि विभाग

Mail/Fax

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-37/2013 170 (आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक 30-10-2013
प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक, उद्यान,
बिहार, पटना।

विषय : बिहार हार्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2013-14 में 384.35 करोड़ रुपये (तीन अरब चौरासी करोड़ पैंतीस लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए राज्यांश मद में 2519.00 लाख रुपये (पच्चीस करोड़ उन्नीस लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹25,19,00,000 (पच्चीस करोड़ उन्नीस लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5234 दिनांक-24.10.2013 द्वारा बिहार हार्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी को बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2013-14 में 384.35 करोड़ रुपये (तीन अरब चौरासी करोड़ पैंतीस लाख रुपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति के अधीन राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए राज्यांश मद में 2519.00 लाख रुपये (पच्चीस करोड़ उन्नीस लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹25,19,00,000 (पच्चीस करोड़ उन्नीस लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।


2. उपरोक्त ₹25,19,00,000 (पच्चीस करोड़ उन्नीस लाख रुपये) मात्र का व्यय बजट-शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-119-बागवानी तथा वनस्पति फसले-मांग संख्या-1-उपशीर्ष-0122-राष्ट्रीय उद्यान मिशन,-विपत्र कोड-P2401001190122-राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5027, विषयशीर्ष-31 06-सहायक अनुदान वेतनादि के अलावे, वित्तीय वर्ष 2013-14 में उपबंधित ₹4500.00 लाख (पैंतालिस करोड़ रु०) से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,



(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग बिहार, पटना।

ज्ञापांक


170 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 30-10-2013

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।





सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग बिहार, पटना।